



**उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड**  
 (उत्तर प्रदेश सरकार का उपकरण)  
**U. P. POWER CORPORATION LIMITED**  
 (Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)  
 14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।  
 CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या: 05-अ0प्र0-04 / पाकालि / 2020-9(2) / 2020

दिनांक: जनवरी 28, 2020

कार्यालय ज्ञाप

एतदद्वारा अधोलिखित सहायक अभियन्ता को कार्यहित में स्तम्भ-3 में उल्लिखित उनके वर्तमान तैनाती के कार्यालय/स्थान से स्थानान्तरित कर स्तम्भ-4 में लिखित इकाई को आंवटित किया जाता है :-

क्रम सं०	सहायक अभियन्ता का नाम, अभि. सं०, विधा एवं गृह जनपद	वर्तमान तैनाती का कार्यालय /स्थान	स्थानान्तरण के पश्चात तैनाती/आवटित कार्यालय/स्थान
1	2	3	4
1.	इ० गोपाल चतुर्वेदी (2015166), मथुरा, इलेक्ट्रिकल	विद्युत 400 / 765 के०वी० उपकेन्द्र खण्ड-आगरा, विद्युत पारेषण मण्डल- आगरा (उ०प्र०पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०)	दक्षिणान्ध्र विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा

2. उक्त तैनाती के आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका संख्या: 79 / 1997 में दिये गये अन्तिम निर्णय दिनांक 21.03.2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप है।
3. स्थानान्तरण नीति 2019-20 के प्रस्तर 9(1) में निहित प्राविधानानुसार इकाई प्रमुख/नियन्त्रक अधिकारी का दायित्व होगा कि उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित सहायक अभियन्ता को बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये स्थानीय व्यवस्था से तत्काल कार्यमुक्त कर उनके कार्यमुक्ति प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
4. नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश संख्या: 5910-गोपन(06)/पाकालि/2001, दिनांक 11.06.2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वांकन का प्रस्तुतीकरण नियमानुसार सुनिश्चित करें।
5. संबंधित इकाई प्रमुख का यह दायित्व होगा कि वे अपने स्तर से कारपोरेशन में विद्यमान स्थानान्तरण नीति के प्राविधानानुसार सहायक अभियन्ताओं की तैनाती करना सुनिश्चित करें।
6. यदि वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान, अंकित कार्यालय/स्थान से भिन्न है, उस दशा में काँज्ञा० में अंकित कार्यालय/स्थान के स्थान पर वास्तविक वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान प्रत्येक व्यवहारिक उद्देश्य के लिए मान्य होगा।
7. स्वयं का अनुरोध होने के दृष्टिगत इ० गोपाल चतुर्वेदी, सहायक अभियन्ता को स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

आधक्ष

**संख्या: 05(1)-अ0प्र0-04 / पाकालि / 2020 तददिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु कृपया प्रेषित :-

1. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन (मु०), लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणान्ध्र विद्युत वितरण निगम लि०, विद्युत निरीक्षण भवन, गैलाना रोड, आगरा।
4. निदेशक (का०प्र०एवं प्रशा०), उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन (मु०), लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता (पारेषण दक्षिण-पश्चिम), उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, आगरा।
6. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत 400 / 765 के०वी० उपकेन्द्र खण्ड-आगरा, विद्युत पारेषण मण्डल, आगरा।
7. मुख्य अभियन्ता (कम्प्यूटराइजेशन इकाई), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. अधिशासी अभियन्ता (वै०), कक्ष संख्या-407, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन) / लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र०पा०का०लि० शक्ति भवन, लखनऊ।
10. उपसचिव / अनु सचिव (गोपन), उ०प्र०पा०का०लि० शक्ति भवन, लखनऊ।
11. सम्बन्धित अधिकारी / वैयक्तिक पत्रावली।

आँज्ञा से

(हिमांशु वर्ण्णीय)  
 उप सचिव (04)